



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939

No. 241]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSA 27, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

का.आ. 278(अ).—मंत्रालय प्रारूप अधिसूचना का.आ. 72(अ.), दिनांक 7 जनवरी, 2016 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र जिले के यवतमल जिले में स्थित है और 148.632 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य एक महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास है जिसको उपयुक्त रूप से संरक्षित किया जाना जरूरी है यहां बाघ(पथेरा टाइगरिस), तेंदुआ(पेंथेरा प्रज्ञुस), सिविट(वीवेरिकाकूला इंडिका), भेड़िया(कैनिस लुपस पालल्पेस), लकड़वग्घा(ह्वेना स्पा), चीतल (अक्स), नीलगाय(बोसेलाफुस टेरागोकमेलुस), काला हिरण (अनअलोपे केरवीका परा), सियार (कैनिस अयरेयूस), साही (हयस्ट्रीक्स इंडिका), जैसे स्तनधारियों की 30 प्रजातियों के साथ-2 रीछ (मेनुरसूस अरसिनयस), चौसिंगामृग(टेराकेरअस क्यूडेरीकोकोरनीस), जैसी अनुसूची -I की प्रजातियां तथा विविध प्रकार आवासी और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं।

और, इस क्षेत्र में विभिन्न उभयचरों, सरीसूपों और पिरसीन की प्रजातियां पाई जाती हैं इस क्षेत्र में तितलियों, कीड़ों, भूंगों, केकड़ों, झीगों, सीपियों की और जूप्लानकटोनस विविधता के अक्षेत्रकी भी पाए जाते हैं।

और, यहां के वन 'दक्षिण उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन' प्रकार के और यह 5ए/सी1ए के रूप में वर्गीकृत है और विभिन्न आर्थिक, औषधीय,

सुगंधित और सजावटी पौधों की प्रजातियों के लिए एक सजीव भंडार के रूप में कार्य करते हैं।

और, इस क्षेत्र की प्रमुख आदिम जनजातियां कोलम और गौड हैं जो यहां के बन्यजीव प्रर्यावासों में ही रहती है यह आदिवासी समुदाय वन से सटे क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी जरूरतें वनों में पूरी करते हैं इनके देवी-देवता और पूजा के अन्य धार्मिक स्थल वनों के अंदर ही हैं।

और, तिपेश्वर बन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएँ इस अधिसूचना के पैरा-1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के तिपेश्वर बन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 150 मीटर (पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिण-पश्चिम सीमा की ओर एक बहुत ही छोटे खंड के लिए जहां नदी प्रस्तावित अभयारण्य बनाती है) से 11 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को तिपेश्वर बन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**-- (1) यह पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्वी अक्षांश $78^{\circ} 18' 33.90''$ से $78^{\circ} 36' 17.25''$ और उत्तरी देशान्तर $19^{\circ} 47' 56.20''$ से $20^{\circ} 3' 16.83''$ के बीच स्थित है। यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन 404.57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तिपेश्वर बन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 150 मीटर से 11 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न विस्तार के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका सीमा वर्णन उपांचंद्र I में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र उपांचंद्र II के रूप में संलग्न है।

(3) तिपेश्वर बन्यजीव अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक उपांचंद्र III के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 60 ग्रामों की सूची जी पी एस निर्देशांक के साथ, उपांचंद्र IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना:-

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(4) आंचलिक महायोजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सरोकारों को शामिल करने के लिए यह राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी :--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका;
- (vi) राजस्व;
- (vii) कृषि;
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।

(7) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का निर्धारण किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा और यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) वुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं, जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं, जिसमें ग्रहवास सम्मिलित हैं; और

(v) संवर्धित और पैरा 4 में वर्णि क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और इन क्षेत्रों या आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी

संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाध संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, बनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन नियन्त्रित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान नियन्त्रित प्रकार से किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **वाहन-यातायात:** - वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सधम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(12) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **ई-अपशिष्टः-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय –समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक इकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षणः** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी सन्निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | विवरण |
|----------|--|---|
| | | क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप |
| 1. | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां। | (क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घेरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या इंटीं बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) से 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) से 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे। |
| 2. | नई आरा मिलों की स्थापना। | पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। |
| 3. | किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्तंकरण। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| 4. | प्रदूषण जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि करने वाले उद्योगों की स्थापना। | (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। |
| 5. | नई बहुत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | परियोजना की स्थापना। | |
| 6. | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| 7. | प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| 8. | पोलिथ्रीन बैगों का उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| 9. | ईंट भट्टों की स्थापना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| ख.विनियमित क्रियाकलाप | | |
| 10. | होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना। | <p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।</p> |
| 11. | संनिर्माण क्रियाकलाप। | <p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएँ हैं; और</p> <p>(iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बड़ावा दिए गए क्रियाकलाप।</p> |
| 12. | गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग। | फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे। |
| 13. | वृक्षों की कटाई। | <p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केन्द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p> |
| 14. | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 15. | नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा। | लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा। |
| 16. | पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |

| | | |
|-----|---|--|
| | आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप। | |
| 17. | फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुकुट फार्मों की स्थापना। | स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| 18. | विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-विद्युने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 19. | होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 20. | प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/वहिन्नाव का निस्सारण। | जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/वहिन्नाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्वर्कण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/वहिन्नाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। |
| 21. | सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग के लिए निष्कर्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 22. | कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण। | समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी। |
| 23. | वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 24. | वायु, ध्वनि और यानिक प्रदूषण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 25. | विदेशी प्रजातियों को लाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 26. | पारिस्थितिकी पर्यटन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 27. | सुरक्षा बल शिविर। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 28. | नए काष्ठ आधारित उद्योग। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टॉक का प्रयोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी। |
| 29. | पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन हेतु पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि; | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |
| 30. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (निपटान और अपशिष्ट निपटान स्थल को छोड़कर) | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। |

ग. संवर्धित क्रियाकलाप

| | | |
|-----|---|---|
| 31. | वर्षा जल संचयन। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 32. | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 33. | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 34. | ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 35. | नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग। | बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 36. | कृषि वानिकी। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 37. | पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 38. | कौशल विकास। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 39. | अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 40. | पर्यावरणीय जागरूकता। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |

ऊपर उल्लिखित प्रतिपिद्ध क्रियाकलाप प्रारूप अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति.-

केंद्र सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक्ट्वारा एक निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | जिला कलेक्टर, यवतमाल | -अध्यक्ष; |
| 2. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, यवतमाल | -सदस्य; |

| | | |
|----|---|--------------|
| 3. | क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अमरावती | -सदस्य; |
| 4. | नगर आयोजना अधिकारी, यवतमल | -सदस्य; |
| 5. | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि | -सदस्य; |
| 6. | तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला पर्यावरण और पारिस्थिति के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| 7. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (पूर्वी) वन्यजीव, नागपुर का प्रतिनिधि | -सदस्य; |
| 8. | राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य | -सदस्य; |
| 9. | उप वन संरक्षक, पंथारकावदा वन संभाग | -सदस्य सचिव। |

6. विचारार्थ विषय :-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनः गठन किए जाने तक होगा और वाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संभ्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में उल्लिखित हों और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं उनकी अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संभ्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपांत्त व में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/127/2015-ईएसजे८]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'


उपांचंद्र ।

तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

| दिशा | घेरा हुआ |
|--------|---|
| उत्तर | कम्पार्टमेंट सं. 88, 83, 84, 82, सी ए-106, सीए-107 की उत्तरी सीमा । गवारा, तीवी, वाघोली, घोंसी ग्रामों की दक्षिणी सीमा। कम्पार्टमेंट सं. 86, 87, सीए-112 तथा किंही, मारेगांव, पंधारवानी (खु) ग्रामों की पश्चिमी सीमा। |
| पूर्व | कम्पार्टमेंट सं. 59 तथा बोरी, केलापुर, अमबोरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा कम्पार्टमेंट सं. 60 तथा वांजरी, पाराम्बा, कवाथ, वारहा की पूर्वी सीमा कम्पार्टमेंट सं. सी-71, 65. तथा जुनजारपुर, साखरा, माहांदोली ग्रामों की दक्षिणी सीमा |
| दक्षिण | कम्पार्टमेंट सं. सी-98, 122, 120 तथा कोदोरी, रुधा, नीम्धेली, घुबादी, हीवारी, अरली की दक्षिणी सीमा। कम्पार्टमेंट सं. सी100 की पूर्वी सीमा। कम्पार्टमेंट सं. सी-98, सी-96 की पश्चिमी सीमा। पेनगंगा नदी की उत्तरी सीमा। |
| पश्चिम | कम्पार्टमेंट सं. सी-108बी-670, सी-110. तथा गानेरी, भीमकुंड, राजपेत, तरोदा, केलेश्वर, परदी, मेजदा ग्रामों की पश्चिमी सीमा। कम्पार्टमेंट सं. 812 तथा सागदा, सावंगी, वागरताकाली, राजपत पारवा की उत्तरी सीमा। कम्पार्टमेंट सं. सी-121 तथा कुरली, जताला, वाधोना की पूर्वी सीमा। कम्पार्टमेंट सं. 669. तथा शरद की उत्तरी सीमा। |

उपाबंध-II

तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

क. तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक

| क्र.सं. | निर्देशांक | देशांतर | अक्षांश |
|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | एस1 | 78:21:23.032 | 19:55:10.881 |
| 2 | एस2 | 78:20:47.578 | 19:55:20.153 |
| 3 | एस3 | 78:20:36.333 | 19:55:37.357 |
| 4 | एस4 | 78:20:41.793 | 19:55:51.303 |
| 5 | एस5 | 78:20:50.445 | 19:55:53.764 |
| 6 | एस6 | 78:20:55.787 | 19:56:07.034 |
| 7 | एस7 | 78:21:06.200 | 19:56:09.963 |
| 8 | एस8 | 78:21:32.588 | 19:56:12.246 |
| 9 | एस9 | 78:21:43.819 | 19:56:24.736 |
| 10 | एस10 | 78:21:56.774 | 19:56:25.038 |
| 11 | एस11 | 78:22:05.710 | 19:56:31.945 |
| 12 | एस12 | 78:22:04.615 | 19:56:40.812 |
| 13 | एस13 | 78:22:24.454 | 19:56:42.139 |
| 14 | एस14 | 78:22:25.147 | 19:56:53.398 |
| 15 | एस15 | 78:22:34.682 | 19:56:53.726 |
| 16 | एस16 | 78:22:35.654 | 19:57:07.638 |
| 17 | एस17 | 78:22:43.763 | 19:57:10.310 |
| 18 | एस18 | 78:22:52.810 | 19:57:06.045 |
| 19 | एस19 | 78:22:50.749 | 19:57:12.938 |
| 20 | एस20 | 78:23:02.459 | 19:57:24.309 |
| 21 | एस21 | 78:23:16.367 | 19:57:21.518 |
| 22 | एस22 | 78:24:02.753 | 19:57:44.323 |
| 23 | एस23 | 78:24:00.392 | 19:58:09.218 |
| 24 | एस24 | 78:24:14.587 | 19:58:09.594 |
| 25 | एस25 | 78:24:21.771 | 19:58:04.903 |
| 26 | एस26 | 78:24:38.299 | 19:58:06.479 |
| 27 | एस27 | 78:24:55.751 | 19:58:02.814 |
| 28 | एस28 | 78:25:17.352 | 19:57:47.876 |
| 29 | एस29 | 78:25:19.397 | 19:57:32.666 |
| 30 | एस30 | 78:26:21.391 | 19:57:21.085 |
| 31 | एस31 | 78:26:51.484 | 19:57:04.948 |
| 32 | एस32 | 78:27:07.286 | 19:57:02.099 |
| 33 | एस33 | 78:27:04.666 | 19:56:57.028 |
| 34 | एस34 | 78:27:14.617 | 19:56:47.164 |
| 35 | एस35 | 78:27:32.428 | 19:56:47.497 |
| 36 | एस36 | 78:27:31.807 | 19:56:25.321 |
| 37 | एस37 | 78:27:50.451 | 19:56:17.813 |
| 38 | एस38 | 78:27:59.823 | 19:55:55.14 |
| 39 | एस39 | 78:28:16.605 | 19:55:51.072 |
| 40 | एस40 | 78:28:30.497 | 19:56:00.382 |

| | | | |
|----|------|--------------|--------------|
| 41 | एस41 | 78:29:32.563 | 19:56:04.317 |
| 42 | एस42 | 78:29:41.310 | 19:56:08.433 |
| 43 | एस43 | 78:29:44.641 | 19:55:50.659 |
| 44 | एस44 | 78:29:45.493 | 19:55:35.074 |
| 45 | एस45 | 78:30:01.213 | 19:55:10.924 |
| 46 | एस46 | 78:30:30.785 | 19:55:09.879 |
| 47 | एस47 | 78:30:54.821 | 19:55:30.249 |
| 48 | एस48 | 78:31:19.026 | 19:55:40.681 |
| 49 | एस49 | 78:31:20.403 | 19:55:11.743 |
| 50 | एस50 | 78:31:15.316 | 19:54:22.772 |
| 51 | एस51 | 78:31:36.455 | 19:54:24.583 |
| 52 | एस52 | 78:31:47.423 | 19:54:11.255 |
| 53 | एस53 | 78:31:46.510 | 19:53:55.820 |
| 54 | एस54 | 78:31:54.735 | 19:53:55.524 |
| 55 | एस55 | 78:32:08.312 | 19:53:45.192 |
| 56 | एस56 | 78:32:01.078 | 19:53:19.713 |
| 57 | एस57 | 78:31:42.011 | 19:52:55.746 |
| 58 | एस58 | 78:31:50.419 | 19:52:44.977 |
| 59 | एस59 | 78:32:02.756 | 19:52:40.902 |
| 60 | एस60 | 78:32:02.584 | 19:52:06.282 |
| 61 | एस61 | 78:32:32.017 | 19:52:06.688 |
| 62 | एस62 | 78:32:32.972 | 19:52:11.758 |
| 63 | एस63 | 78:32:39.871 | 19:52:11.236 |
| 64 | एस64 | 78:32:38.544 | 19:52:18.239 |
| 65 | एस65 | 78:32:49.856 | 19:52:25.922 |
| 66 | एस66 | 78:32:55.843 | 19:52:21.010 |
| 67 | एस67 | 78:32:48.216 | 19:52:06.904 |
| 68 | एस68 | 78:32:53.422 | 19:52:03.414 |
| 69 | एस69 | 78:32:54.222 | 19:52:08.609 |
| 70 | एस70 | 78:33:01.995 | 19:52:10.789 |
| 71 | एस71 | 78:33:12.702 | 19:52:06.202 |
| 72 | एस72 | 78:33:08.474 | 19:51:55.716 |
| 73 | एस73 | 78:33:20.041 | 19:51:56.115 |
| 74 | एस74 | 78:33:23.203 | 19:51:53.223 |
| 75 | एस75 | 78:33:08.888 | 19:51:50.365 |
| 76 | एस76 | 78:33:13.263 | 19:51:46.806 |
| 77 | एस77 | 78:33:11.730 | 19:51:32.604 |
| 78 | एस78 | 78:33:03.170 | 19:51:33.319 |
| 79 | एस79 | 78:33:02.501 | 19:51:22.450 |
| 80 | एस80 | 78:32:54.405 | 19:51:19.745 |
| 81 | एस81 | 78:32:46.284 | 19:51:25.340 |
| 82 | एस82 | 78:32:39.163 | 19:51:24.961 |
| 83 | एस83 | 78:32:39.023 | 19:51:19.348 |
| 84 | एस84 | 78:32:29.884 | 19:51:18.468 |
| 85 | एस85 | 78:32:29.178 | 19:51:03.706 |

| | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| 86 | एस86 | 78:32:37.865 | 19:51:05.209 |
| 87 | एस87 | 78:32:41.005 | 19:51:02.184 |
| 88 | एस88 | 78:32:41.086 | 19:50:53.349 |
| 89 | एस89 | 78:32:31.759 | 19:50:54.692 |
| 90 | एस90 | 78:32:28.025 | 19:50:47.941 |
| 91 | एस91 | 78:32:22.382 | 19:50:50.829 |
| 92 | एस92 | 78:32:18.112 | 19:50:40.454 |
| 93 | एस93 | 78:32:23.087 | 19:50:37.414 |
| 94 | एस94 | 78:32:19.914 | 19:50:19.773 |
| 95 | एस95 | 78:32:05.649 | 19:50:18.490 |
| 96 | एस96 | 78:31:26.296 | 19:50:33.834 |
| 97 | एस97 | 78:31:30.006 | 19:51:02.863 |
| 98 | एस98 | 78:31:26.935 | 19:51:12.799 |
| 99 | एस99 | 78:30:24.282 | 19:51:57.001 |
| 100 | एस100 | 78:29:52.542 | 19:51:57.539 |
| 101 | एस101 | 78:29:42.839 | 19:51:32.503 |
| 102 | एस102 | 78:29:16.942 | 19:51:05.680 |
| 103 | एस103 | 78:28:56.489 | 19:50:59.384 |
| 104 | एस104 | 78:28:53.238 | 19:50:49.693 |
| 105 | एस105 | 78:28:42.618 | 19:50:53.534 |
| 106 | एस106 | 78:28:25.473 | 19:50:55.311 |
| 107 | एस107 | 78:28:05.629 | 19:51:05.867 |
| 108 | एस108 | 78:27:55.995 | 19:50:39.108 |
| 109 | एस109 | 78:27:25.087 | 19:50:39.589 |
| 110 | एस110 | 78:27:27.609 | 19:50:59.969 |
| 111 | एस111 | 78:27:15.766 | 19:51:02.106 |
| 112 | एस112 | 78:27:15.512 | 19:51:13.668 |
| 113 | एस113 | 78:27:59.809 | 19:51:22.486 |
| 114 | एस114 | 78:28:00.388 | 19:51:47.574 |
| 115 | एस115 | 78:27:36.029 | 19:51:48.847 |
| 116 | एस116 | 78:27:18.852 | 19:51:47.015 |
| 117 | एस117 | 78:27:06.822 | 19:51:47.757 |
| 118 | एस118 | 78:27:01.115 | 19:51:29.082 |
| 119 | एस119 | 78:27:03.474 | 19:51:19.570 |
| 120 | एस120 | 78:26:48.142 | 19:51:17.758 |
| 121 | एस121 | 78:26:14.906 | 19:51:17.444 |
| 122 | एस122 | 78:26:11.832 | 19:51:12.314 |
| 123 | एस123 | 78:26:18.606 | 19:51:02.525 |
| 124 | एस124 | 78:26:12.792 | 19:50:44.437 |
| 125 | एस125 | 78:26:25.281 | 19:50:41.855 |
| 126 | एस126 | 78:26:27.256 | 19:50:37.066 |
| 127 | एस127 | 78:26:31.895 | 19:50:36.838 |
| 128 | एस128 | 78:26:31.228 | 19:50:29.972 |
| 129 | एस129 | 78:26:26.501 | 19:50:20.465 |
| 130 | एस130 | 78:26:11.841 | 19:50:28.410 |

| | | | |
|-----|-------|---------------|--------------|
| 131 | एस131 | 78:26:03.758 | 19:50:27.139 |
| 132 | एस132 | 78:26:03.469 | 19:50:39.930 |
| 133 | एस133 | 78:25:58.244 | 19:50:42.454 |
| 134 | एस134 | 78:25:58.613 | 19:50:36.576 |
| 135 | एस135 | 78:25:56.155 | 19:50:34.454 |
| 136 | एस136 | 78:26:02.123 | 19:50:24.861 |
| 137 | एस137 | 78:25:58.253 | 19:50:20.884 |
| 138 | एस138 | 78:25:53.239 | 19:50:24.360 |
| 139 | एस139 | 78:25:48.955 | 19:50:11.705 |
| 140 | एस140 | 78:25:38.213 | 19:50:13.981 |
| 141 | एस141 | 78:25:43.893 | 19:50:39.897 |
| 142 | एस142 | 78:25:40.677 | 19:50:41.259 |
| 143 | एस143 | 78:25:42.352 | 19:50:48.117 |
| 144 | एस144 | 78:25:38.763 | 19:50:52.918 |
| 145 | एस145 | 78:25:39.758 | 19:51:14.333 |
| 146 | एस146 | 78:25:32.644 | 19:51:13.898 |
| 147 | एस147 | 78:25:30.284 | 19:51:21.462 |
| 148 | एस148 | 78:25:23.891 | 19:51:24.138 |
| 149 | एस149 | 78:25:19.017 | 19:51:22.208 |
| 150 | एस150 | 78:25:17.405 | 19:51:16.480 |
| 151 | एस151 | 78:25:05.921 | 19:51:20.443 |
| 152 | एस152 | 78:25:01.476 | 19:51:09.893 |
| 153 | एस153 | 78:24:45.163 | 19:51:12.454 |
| 154 | एस154 | 78:24:44.105 | 19:51:22.514 |
| 155 | एस155 | 78:24:38.336 | 19:51:21.918 |
| 156 | एस156 | 78:24:35.815 | 19:51:25.912 |
| 157 | एस157 | 78:24:27.505 | 19:51:23.767 |
| 158 | एस158 | 78:24:30.704 | 19:51:40.576 |
| 159 | एस159 | 78:24:27.484 | 19:51:40.601 |
| 160 | एस160 | 78:24:26.740 | 19:51:48.279 |
| 161 | एस161 | 78:24:17.559 | 19:51:49.177 |
| 162 | एस162 | 78:24:19.836 | 19:51:57.495 |
| 163 | एस163 | 78:24:13.724 | 19:51:56.421 |
| 164 | एस164 | 78:24:04.589 | 19:51:58.577 |
| 165 | एस165 | 78:24:01.795 | 19:52:04.295 |
| 166 | एस166 | 78:24:08.205 | 19:52:04.961 |
| 167 | एस167 | 78:24:07.557 | 19:52:08.333 |
| 168 | एस168 | 78:24:01.101 | 19:52:06.781 |
| 169 | एस169 | 78:23:49.540 | 19:52:12.430 |
| 170 | एस170 | 78:23:51.901 | 19:52:20.801 |
| 171 | एस171 | 78:23:36.754 | 19:52:13.866 |
| 172 | एस172 | 78:23:28.784 | 19:52:13.607 |
| 173 | एस173 | 78:23:27.696 | 19:52:05.439 |
| 174 | एस174 | 78:23:49.433 | 19:52:09.918 |
| 175 | एस175 | 78:23:348.586 | 19:52:06.013 |

| | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| 176 | एस176 | 78:23:51.762 | 19:52:04.930 |
| 177 | एस177 | 78:23:51.375 | 19:51:59.483 |
| 178 | एस178 | 78:23:47.481 | 19:51:59.994 |
| 179 | एस179 | 78:23:45.988 | 19:51:55.611 |
| 180 | एस180 | 78:23:25.898 | 19:51:53.589 |
| 181 | एस181 | 78:23:25.955 | 19:52:00.162 |
| 182 | एस182 | 78:23:04.975 | 19:52:04.654 |
| 183 | एस183 | 78:23:07.712 | 19:52:27.078 |
| 184 | एस184 | 78:23:14.886 | 19:52:38.684 |
| 185 | एस185 | 78:23:41.739 | 19:52:43.055 |
| 186 | एस186 | 78:23:55.294 | 19:52:49.984 |
| 187 | एस187 | 78:23:46.700 | 19:53:01.427 |
| 188 | एस188 | 78:24:00.479 | 19:53:02.252 |
| 189 | एस189 | 78:24:01.841 | 19:53:07.465 |
| 190 | एस190 | 78:24:11.833 | 19:53:09.212 |
| 191 | एस191 | 78:24:15.055 | 19:53:27.846 |
| 192 | एस192 | 78:24:20.380 | 19:53:35.918 |
| 193 | एस193 | 78:24:16.705 | 19:53:35.274 |
| 194 | एस194 | 78:24:19.125 | 19:53:44.379 |
| 195 | एस195 | 78:24:18.272 | 19:53:47.151 |
| 196 | एस196 | 78:24:03.904 | 19:53:42.564 |
| 197 | एस197 | 78:24:00.103 | 19:53:42.594 |
| 198 | एस198 | 78:24:02.924 | 19:54:04.138 |
| 199 | एस199 | 78:23:53.597 | 19:54:07.530 |
| 200 | एस200 | 78:23:49.996 | 19:53:57.051 |
| 201 | एस201 | 78:23:40.367 | 19:53:59.339 |
| 202 | एस202 | 78:23:44.296 | 19:54:13.962 |
| 203 | एस203 | 78:23:37.486 | 19:54:20.516 |
| 204 | एस204 | 78:23:23.918 | 19:54:24.352 |
| 205 | एस205 | 78:23:30.892 | 19:54:37.314 |
| 206 | एस206 | 78:23:16.656 | 19:54:41.623 |
| 207 | एस207 | 78:23:21.378 | 19:54:46.247 |
| 208 | एस208 | 78:23:33.887 | 19:54:46.040 |
| 209 | एस209 | 78:23:35.842 | 19:54:51.401 |
| 210 | एस210 | 78:23:22.029 | 19:54:49.188 |
| 211 | एस211 | 78:23:22.732 | 19:55:08.788 |
| 212 | एस212 | 78:23:29.700 | 19:55:27.912 |
| 213 | एस213 | 78:22:47.035 | 19:55:29.047 |
| 214 | एस214 | 78:22:29.277 | 19:55:34.068 |
| 215 | एस215 | 78:22:28.906 | 19:55:44.034 |
| 216 | एस216 | 78:22:18.940 | 19:55:45.524 |
| 217 | एस217 | 78:22:12.528 | 19:55:40.703 |
| 218 | एस218 | 78:21:49.046 | 19:55:34.084 |
| 219 | एस219 | 78:21:30.388 | 19:55:38.889 |

ख. तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संबंधी जोन के भू-निर्देशांक

| क्र.सं. | निर्देशांक | देशांतर | अक्षांश |
|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | ई1 | 78:18:54.277 | 19:54:55.567 |
| 2 | ई2 | 78:18:44.058 | 19:55:06.992 |
| 3 | ई3 | 78:18:41.184 | 19:55:31.623 |
| 4 | ई4 | 78:18:33.392 | 19:55:38.754 |
| 5 | ई5 | 78:18:28.479 | 19:55:53.877 |
| 6 | ई6 | 78:18:33.023 | 19:55:53.986 |
| 7 | ई7 | 78:18:39.079 | 19:56:09.729 |
| 8 | ई8 | 78:18:37.980 | 19:56:15.230 |
| 9 | ई9 | 78:18:51.467 | 19:56:32.687 |
| 10 | ई10 | 78:18:35.203 | 19:56:34.909 |
| 11 | ई11 | 78:18:13.142 | 19:57:01.325 |
| 12 | ई12 | 78:18:18.450 | 19:57:15.994 |
| 13 | ई13 | 78:18:03.376 | 19:57:30.661 |
| 14 | ई14 | 78:18:11.392 | 19:57:31.922 |
| 15 | ई15 | 78:18:11.431 | 19:58:07.028 |
| 16 | ई16 | 78:18:28.715 | 19:58:16.642 |
| 17 | ई17 | 78:18:45.385 | 19:58:16.967 |
| 18 | ई18 | 78:18:53.199 | 19:58:14.635 |
| 19 | ई19 | 78:18:58.949 | 19:58:18.684 |
| 20 | ई20 | 78:19:05.763 | 19:58:18.454 |
| 21 | ई21 | 78:19:08.975 | 19:58:15.380 |
| 22 | ई22 | 78:19:13.315 | 19:58:21.980 |
| 23 | ई23 | 78:19:11.359 | 19:58:24.905 |
| 24 | ई24 | 78:19:17.250 | 19:58:32.543 |
| 5 | ई25 | 78:19:23.798 | 19:58:33.861 |
| 6 | ई26 | 78:19:23.988 | 19:58:37.443 |
| 27 | ई27 | 78:19:46.391 | 19:58:38.062 |
| 28 | ई28 | 78:19:52.256 | 19:58:27.140 |
| 29 | ई29 | 78:19:57.976 | 19:58:27.099 |
| 30 | ई30 | 78:20:12.480 | 19:58:41.464 |
| 31 | ई31 | 78:20:17.240 | 19:58:41.642 |
| 32 | ई32 | 78:20:21.550 | 19:58:34.262 |
| 33 | ई33 | 78:20:32.457 | 19:58:29.010 |
| 34 | ई34 | 78:20:47.213 | 19:58:31.075 |
| 35 | ई35 | 78:21:00.971 | 19:58:26.710 |
| 36 | ई36 | 78:21:00.905 | 19:58:18.307 |
| 37 | ई37 | 78:21:10.158 | 19:58:19.251 |
| 38 | ई38 | 78:21:11.043 | 19:58:16.446 |
| 39 | ई39 | 78:21:16.841 | 19:58:10.490 |
| 40 | ई40 | 78:21:26.806 | 19:58:05.888 |
| 41 | ई41 | 78:21:36.003 | 19:57:56.180 |
| 42 | ई42 | 78:21:53.804 | 19:57:57.894 |

| | | | |
|----|-----|--------------|--------------|
| 43 | ई43 | 78:22:04.853 | 19:57:56.121 |
| 44 | ई44 | 78:22:23.584 | 19:59:13.799 |
| 45 | ई45 | 78:22:10.768 | 19:59:11.754 |
| 46 | ई46 | 78:22:00.464 | 19:59:13.453 |
| 47 | ई47 | 78:21:53.281 | 19:59:17.430 |
| 48 | ई48 | 78:21:48.518 | 19:59:15.351 |
| 49 | ई49 | 78:21:38.056 | 19:59:30.100 |
| 50 | ई50 | 78:21:35.779 | 19:59:44.586 |
| 51 | ई51 | 78:21:32.148 | 19:59:44.885 |
| 52 | ई52 | 78:21:35.087 | 19:59:58.885 |
| 53 | ई53 | 78:21:45.553 | 20:00:00.070 |
| 54 | ई54 | 78:21:54.972 | 20:00:06.290 |
| 55 | ई55 | 78:22:11.120 | 20:00:07.113 |
| 56 | ई56 | 78:22:34.020 | 20:00:08.047 |
| 57 | ई57 | 78:22:38.823 | 20:00:17.296 |
| 58 | ई58 | 78:22:34.928 | 20:00:32.600 |
| 59 | ई59 | 78:22:51.853 | 20:01:04.061 |
| 60 | ई60 | 78:22:46.242 | 20:01:08.403 |
| 61 | ई61 | 78:22:46.106 | 20:01:24.943 |
| 62 | ई62 | 78:22:59.304 | 20:01:38.999 |
| 63 | ई63 | 78:23:10.204 | 20:01:54.765 |
| 64 | ई64 | 78:23:24.277 | 20:01:59.929 |
| 65 | ई65 | 78:23:29.183 | 20:02:04.397 |
| 66 | ई66 | 78:23:31.969 | 20:02:11.171 |
| 67 | ई67 | 78:23:42.517 | 20:02:17.956 |
| 68 | ई68 | 78:23:48.461 | 20:02:31.786 |
| 69 | ई69 | 78:23:54.431 | 20:02:52.934 |
| 70 | ई70 | 78:24:10.001 | 20:03:07.374 |
| 71 | ई71 | 78:24:27.917 | 20:03:15.363 |
| 72 | ई72 | 78:24:34.918 | 20:02:15.293 |
| 73 | ई73 | 78:25:26.041 | 20:02:00.049 |
| 74 | ई74 | 78:25:48.267 | 20:02:20.557 |
| 75 | ई75 | 78:26:20.875 | 20:02:30.217 |
| 76 | ई76 | 78:26:43.223 | 20:03:04.189 |
| 77 | ई77 | 78:26:52.127 | 20:03:03.847 |
| 78 | ई78 | 78:27:31.746 | 20:03:27.775 |
| 79 | ई79 | 78:29:24.798 | 20:03:02.093 |
| 80 | ई80 | 78:29:11.673 | 20:02:49.589 |
| 81 | ई81 | 78:29:13.289 | 20:02:38.795 |
| 82 | ई82 | 78:29:28.486 | 20:02:15.248 |
| 83 | ई83 | 78:29:40.286 | 20:01:58.268 |
| 84 | ई84 | 78:30:05.789 | 20:01:56.355 |
| 85 | ई85 | 78:30:05.800 | 20:01:56.009 |
| 86 | ई86 | 78:29:36.292 | 20:01:11.057 |
| 87 | ई87 | 78:30:04.332 | 20:00:47.581 |

| | | | |
|-----|------|--------------|--------------|
| 88 | ई88 | 78:30:35.019 | 20:00:39.716 |
| 89 | ई89 | 78:30:41.702 | 20:00:44.484 |
| 90 | ई90 | 78:31:00.601 | 20:00:36.895 |
| 91 | ई91 | 78:31:01.197 | 20:00:22.611 |
| 92 | ई92 | 78:30:57.317 | 19:59:54.700 |
| 93 | ई93 | 78:31:03.905 | 19:59:47.658 |
| 94 | ई94 | 78:31:03.949 | 19:59:44.378 |
| 95 | ई95 | 78:31:00.324 | 19:59:42.364 |
| 96 | ई96 | 78:30:55.462 | 19:59:16.072 |
| 97 | ई97 | 78:30:48.790 | 19:59:15.437 |
| 98 | ई98 | 78:30:39.060 | 19:59:03.152 |
| 99 | ई99 | 78:30:28.483 | 19:58:59.042 |
| 100 | ई100 | 78:30:30.032 | 19:58:45.549 |
| 101 | ई101 | 78:31:06.955 | 19:58:46.185 |
| 102 | ई102 | 78:31:43.485 | 19:58:41.114 |
| 103 | ई103 | 78:31:54.749 | 19:58:41.501 |
| 104 | ई104 | 78:32:23.828 | 19:58:29.896 |
| 105 | ई105 | 78:32:57.278 | 19:58:20.927 |
| 106 | ई106 | 78:32:55.643 | 19:58:07.347 |
| 107 | ई107 | 78:32:45.973 | 19:58:05.001 |
| 108 | ई108 | 78:32:16.213 | 19:57:15.969 |
| 109 | ई109 | 78:32:16.899 | 19:57:04.900 |
| 110 | ई110 | 78:32:29.503 | 19:56:44.285 |
| 111 | ई111 | 78:33:33.783 | 19:56:51.030 |
| 112 | ई112 | 78:33:36.014 | 19:57:11.401 |
| 113 | ई113 | 78:33:58.886 | 19:57:16.765 |
| 114 | ई114 | 78:34:13.160 | 19:57:15.497 |
| 115 | ई115 | 78:34:29.401 | 19:57:03.540 |
| 116 | ई116 | 78:35:09.219 | 19:56:46.001 |
| 117 | ई117 | 78:35:14.858 | 19:56:21.355 |
| 118 | ई118 | 78:35:07.449 | 19:56:07.314 |
| 119 | ई119 | 78:35:08.444 | 19:55:53.624 |
| 120 | ई120 | 78:35:04.617 | 19:55:54.086 |
| 121 | ई121 | 78:34:57.735 | 19:55:40.251 |
| 122 | ई122 | 78:35:10.497 | 19:55:20.825 |
| 123 | ई123 | 78:35:23.707 | 19:55:19.638 |
| 124 | ई124 | 78:35:28.435 | 19:55:10.945 |
| 125 | ई125 | 78:35:40.167 | 19:55:10.547 |
| 126 | ई126 | 78:35:40.876 | 19:55:00.760 |
| 127 | ई127 | 78:35:43.658 | 19:54:57.321 |
| 128 | ई128 | 78:35:42.020 | 19:54:51.577 |
| 129 | ई129 | 78:35:54.841 | 19:54:49.449 |
| 130 | ई130 | 78:35:58.380 | 19:54:58.941 |
| 131 | ई131 | 78:36:00.368 | 19:54:53.978 |
| 132 | ई132 | 78:36:11.531 | 19:54:54.620 |

| | | | |
|-----|------|--------------|--------------|
| 133 | ई133 | 78:36:19.225 | 19:54:53.970 |
| 134 | ई134 | 78:36:06.996 | 19:54:43.880 |
| 135 | ई135 | 78:36:06.855 | 19:54:29.845 |
| 136 | ई136 | 78:35:55.482 | 19:54:15.911 |
| 137 | ई137 | 78:35:53.107 | 19:54:19.346 |
| 138 | ई138 | 78:35:45.082 | 19:54:19.039 |
| 139 | ई139 | 78:35:38.982 | 19:54:10.937 |
| 140 | ई140 | 78:35:25.467 | 19:54:11.891 |
| 141 | ई141 | 78:35:10.216 | 19:53:23.801 |
| 142 | ई142 | 78:35:06.331 | 19:53:23.202 |
| 143 | ई143 | 78:35:09.527 | 19:53:41.472 |
| 144 | ई144 | 78:34:57.011 | 19:53:42.933 |
| 145 | ई145 | 78:34:57.226 | 19:53:48.782 |
| 146 | ई146 | 78:34:48.356 | 19:53:49.910 |
| 147 | ई147 | 78:34:45.604 | 19:53:44.235 |
| 148 | ई148 | 78:34:36.574 | 19:53:45.515 |
| 149 | ई149 | 78:34:37.286 | 19:53:53.308 |
| 150 | ई150 | 78:34:20.187 | 19:53:56.459 |
| 151 | ई151 | 78:34:16.133 | 19:53:50.139 |
| 152 | ई152 | 78:34:16.460 | 19:53:23.093 |
| 153 | ई153 | 78:34:09.284 | 19:53:16.008 |
| 154 | ई154 | 78:34:15.384 | 19:52:59.028 |
| 155 | ई155 | 78:34:20.749 | 19:52:55.743 |
| 156 | ई156 | 78:34:15.135 | 19:52:51.990 |
| 157 | ई157 | 78:34:25.551 | 19:52:33.291 |
| 158 | ई158 | 78:34:46.407 | 19:52:17.783 |
| 159 | ई159 | 78:34:34.693 | 19:52:15.179 |
| 160 | ई160 | 78:34:30.141 | 19:52:17.295 |
| 161 | ई161 | 78:34:31.996 | 19:52:19.188 |
| 162 | ई162 | 78:34:14.559 | 19:52:19.255 |
| 163 | ई163 | 78:34:06.816 | 19:52:22.998 |
| 164 | ई164 | 78:34:01.364 | 19:51:58.635 |
| 165 | ई165 | 78:34:04.414 | 19:51:45.060 |
| 166 | ई166 | 78:33:53.146 | 19:51:21.502 |
| 167 | ई167 | 78:33:53.112 | 19:50:40.187 |
| 168 | ई168 | 78:33:56.997 | 19:50:38.205 |
| 169 | ई169 | 78:34:01.291 | 19:50:39.612 |
| 170 | ई170 | 78:34:03.183 | 19:50:35.327 |
| 171 | ई171 | 78:34:13.115 | 19:50:34.857 |
| 172 | ई172 | 78:34:06.139 | 19:49:58.845 |
| 173 | ई173 | 78:33:57.475 | 19:49:44.033 |
| 174 | ई174 | 78:33:48.281 | 19:49:11.005 |
| 175 | ई175 | 78:33:05.646 | 19:49:25.090 |
| 176 | ई176 | 78:32:26.587 | 19:49:18.515 |
| 177 | ई177 | 78:32:09.748 | 19:49:09.616 |

| | | | |
|-----|------|--------------|--------------|
| 178 | ₹178 | 78:31:50.032 | 19:49:04.218 |
| 179 | ₹179 | 78:31:06.340 | 19:49:05.523 |
| 180 | ₹180 | 78:31:00.733 | 19:49:03.532 |
| 181 | ₹181 | 78:30:45.700 | 19:48:51.496 |
| 182 | ₹182 | 78:30:39.408 | 19:48:38.355 |
| 183 | ₹183 | 78:30:38.037 | 19:48:02.657 |
| 184 | ₹184 | 78:30:31.588 | 19:47:48.107 |
| 185 | ₹185 | 78:30:12.606 | 19:47:37.737 |
| 186 | ₹186 | 78:29:33.802 | 19:47:30.843 |
| 187 | ₹187 | 78:29:19.786 | 19:47:35.453 |
| 188 | ₹188 | 78:29:08.596 | 19:47:47.105 |
| 189 | ₹189 | 78:29:03.762 | 19:48:11.069 |
| 190 | ₹190 | 78:28:55.074 | 19:48:24.858 |
| 191 | ₹191 | 78:28:52.119 | 19:48:36.885 |
| 192 | ₹192 | 78:28:32.907 | 19:48:56.378 |
| 193 | ₹193 | 78:28:15.959 | 19:49:01.944 |
| 194 | ₹194 | 78:27:41.170 | 19:48:53.434 |
| 195 | ₹195 | 78:27:16.918 | 19:48:46.179 |
| 196 | ₹196 | 78:26:48.240 | 19:48:47.340 |
| 197 | ₹197 | 78:26:22.559 | 19:48:45.761 |
| 198 | ₹198 | 78:25:58.698 | 19:48:51.253 |
| 199 | ₹199 | 78:25:21.173 | 19:49:08.976 |
| 200 | ₹200 | 78:25:02.690 | 19:49:22.638 |
| 201 | ₹201 | 78:23:13.719 | 19:50:45.793 |
| 202 | ₹202 | 78:23:03.577 | 19:51:19.551 |
| 203 | ₹203 | 78:23:02.548 | 19:52:39.624 |
| 204 | ₹204 | 78:22:58.998 | 19:52:44.265 |
| 205 | ₹205 | 78:22:48.592 | 19:52:47.267 |
| 206 | ₹206 | 78:22:14.546 | 19:52:47.615 |
| 207 | ₹207 | 78:21:52.249 | 19:52:51.520 |
| 208 | ₹208 | 78:21:39.819 | 19:52:56.644 |
| 209 | ₹209 | 78:21:11.571 | 19:52:53.260 |
| 210 | ₹210 | 78:20:39.836 | 19:52:57.361 |
| 211 | ₹211 | 78:20:25.897 | 19:53:02.764 |
| 212 | ₹212 | 78:20:18.696 | 19:53:02.022 |
| 213 | ₹213 | 78:20:15.301 | 19:53:08.323 |
| 214 | ₹214 | 78:20:12.587 | 19:53:02.066 |
| 215 | ₹215 | 78:20:00.205 | 19:53:05.145 |
| 216 | ₹216 | 78:19:50.045 | 19:53:12.205 |
| 217 | ₹217 | 78:19:33.002 | 19:53:38.258 |
| 218 | ₹218 | 78:19:39.442 | 19:53:56.376 |
| 219 | ₹219 | 78:20:06.213 | 19:54:15.183 |
| 220 | ₹220 | 78:20:06.988 | 19:54:20.249 |
| 221 | ₹221 | 78:19:58.308 | 19:54:48.633 |
| 222 | ₹222 | 78:19:45.604 | 19:54:57.359 |

223 ई223 78:19:11.801 19:54:58.782
 224 ई224 78:19:04.798 19:54:56.189

उपादान-IVतिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जौन में ग्रामों के जीपीएस निर्देशांक

| क्र.सं | ग्राम के नाम | तहसील | अक्षांश | देशांतर |
|--------|--------------|---------|---------------|-----------------|
| 1. | सागदा | घरांजी | उ 19:53:16.90 | पू 78:22:00.30 |
| 2. | थनेगांव | घरांजी | उ 19:53:42.50 | पू 78:23:48.40 |
| 3. | भीमकुंद | घरांजी | उ 19:52:48.70 | पू 78:23:03.90 |
| 4. | मांगी | घरांजी | उ 19:54:11.60 | पू 78.22"30.80 |
| 5. | सावरगांव | घरांजी | उ 19:54:55.40 | पू 78:22'.29.50 |
| 6. | सावंगी | घरांजी | उ 19:54:36.65 | पू 78'.20.22.80 |
| 7. | वागरतकली | घरांजी | उ 19:56:24.45 | पू 78:20:24.55 |
| 8. | राजपत | घरांजी | उ 19:54:59.13 | पू 78:18:33.90 |
| 9. | कुरली | घरांजी | उ 19:56:39.37 | पू 78:18:44.31 |
| 10. | तरोदा | घरांजी | उ 19:57:53.14 | पू 78:18:58.22 |
| 11. | सारद | घरांजी | उ 19:58:07.13 | पू 78:20:18.34 |
| 12. | मजदा | घरांजी | उ 20:00:56.54 | पू 78.23:01.62 |
| 13. | पारदी | घरांजी | उ 19:59:48.74 | पू 78:22:06.62 |
| 14. | जम्बा | घरांजी | उ 19:58:52.23 | पू 78:23:45.25 |
| 15. | केलेश्वर | घरांजी | उ 19:58:18.42 | पू 78.22:33.60 |
| 16. | मथनी | घरांजी | उ 19:57:20.50 | पू 78"23.11.90 |
| 17. | जटली | केलापुर | उ 19:59:51.70 | पू 78"26"20.50 |
| 18. | केगांव | केलापुर | उ 20:01:59.50 | पू 78:2851 .10 |
| 19. | कुसाल | केलापुर | उ 20:03:04.10 | पू 78:28:03.10 |
| 20. | चोपां | केलापुर | उ 20:02:57.80 | पू 78:27'.56.80 |
| 21. | मालाकपुर | केलापुर | उ 20:02:04.60 | पू 78:26:46.20 |
| 22. | पहापाल | केलापुर | उ 19:59:44.00 | पू 78:29'.26.70 |
| 23. | वादनेर | केलापुर | उ 20:00:35.50 | पू 78:28:25.00 |
| 24. | पाटोदा | केलापुर | उ 19:59:45.00 | पू 78:27:24.00 |
| 25. | दाहेली थंदा | केलापुर | उ 20:00:06.00 | पू 78:27:28.30 |
| 26. | लीगती | केलापुर | उ 19:58:52.40 | पू 78:27:09.00 |
| 27. | भादुमरी | केलापुर | उ 19:58:15.10 | पू 78:26:00.50 |
| 28. | बोथ | केलापुर | उ 19:57:42.48 | पू 78:27:53.58 |
| 29. | बाहटेर | केलापुर | उ 19:57:08.64 | पू 78.27:53.58 |

| | | | | |
|-----|----------------|---------|----------------|----------------|
| 30. | पनधारी | केलापुर | उ 19:56:49.68 | पू 78:28:56.46 |
| 31. | सुसारी | केलापुर | उ 19:57:01 .50 | पू 78:29:44.82 |
| 32. | नागजरी | केलापुर | उ 19:58:03.00 | पू 78:29:37.08 |
| 33. | गोंदवाकदी | केलापुर | उ 19:58:42.18 | पू 78:31:34.08 |
| 34. | मराथवाकदी | केलापुर | उ 19:57:37.44 | पू 78:31:57.30 |
| 35. | धोकि | केलापुर | उ 19:56:56.94 | पू 78:32:05.01 |
| 36. | तम्भी (ख) | केलापुर | उ 19:56:14.28 | पू 78:30:54.66 |
| 37. | सुन्ना | केलापुर | उ 19:55:12.30 | पू 78:32:06.70 |
| 38. | कोपाम्दावी | केलापुर | उ 19:53:37.40 | पू 78:32:25.30 |
| 39. | पारम्बा | घातांजी | उ 19:55:03.00 | पू 78:35:46.80 |
| 40. | वांजरी | केलापुर | उ 19:56:24.10 | पू 78:34:14.50 |
| 41. | वासरी | केलापुर | उ 19:51:53.10 | पू 78:33:22.50 |
| 42. | कावथ | केलापुर | उ 19:53:35.40 | पू 78:33:29.90 |
| 43. | वारथ | केलापुर | उ 19:53:13.10 | पू 78:33:34.10 |
| 44. | खापूरगाव | केलापुर | उ 19:55:08.90 | पू 78:33:08.70 |
| 45. | बाल्लारपुर | केलापुर | उ 19:56:18.20 | पू 78:32:43.60 |
| 46. | रुधा | केलापुर | उ 19:49:03.44 | पू 78:31:08.45 |
| 47. | कोदोरी | केलापुर | उ 19:49:08.75 | पू 78:33:03.55 |
| 48. | चानाखा | केलापुर | उ 19:48:07.77 | पू 78:30:03.88 |
| 49. | खापूरी | केलापुर | उ 19:50:01 .34 | पू 78:30:07.72 |
| 50. | वाल्वाती | केलापुर | उ 19:50:05.41 | पू 78:28:08.65 |
| 51. | घुबदी | केलापुर | उ 19:49:09.35 | पू 78:28:05.69 |
| 52. | केरेगांव (बांद | केलापुर | उ 19:50:09.60 | पू 78:24:22.14 |
| 53. | हीवारी | केलापुर | उ 19:48:34.86 | पू 78:26:15.90 |
| 54. | अरली | केलापुर | उ 19:50:15.96 | पू 78:24:10.86 |
| 55. | पीम्पल्सेंदा | केलापुर | उ 19:50:50.94 | पू 78:25:20.04 |
| 56. | गनेरी | केलापुर | उ 19:51 :18.60 | पू 78:23:13.08 |
| 57. | नीम्बेली | केलापुर | उ 19:48:02.48 | पू 78:29:05.94 |
| 58. | पीम्पाल्बुती | घातांजी | उ 20:02:03.40 | पू 78:23:27.70 |
| 59. | खरोनी | घातांजी | उ 20 01.42.40 | पू 78:24:52.70 |
| 60. | मुरादगावहन | घातांजी | उ 20:00:48.40 | पू 78:23:33.T5 |

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय विंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपांच्छंड में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निवटाए गए मामलों का सार पारिस्थितिकी संवेदी जोन वाद। विवरण उपांच्छंड के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपांच्छंड के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपांच्छंड के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2018

S.O. 278(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 72(E), dated 7th January, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at eszmf@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, Tipeshwar Wildlife Sanctuary situated in Yavatmal district of Maharashtra State is spread over an area of 148.632 sq.kms.

AND WHEREAS, Tipeshwar Wildlife Sanctuary is an important wildlife habitat and needs to be conserved suitably for protection of wild animals including 30 species of mammals such as Tiger (*Panthera tigris*) Leopard (*Panthera pardus*), Civet (*Viverricula indica*), Wolf (*Canis lupus pallipes*), Hyaena (*Hyaena hyaena*), Cheetal (*Axis axis*), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), Black Buck (*Antilope cervicapra*), Jackal (*Canis aureus*), Porcupine (*Hystrix indica*), and including schedule-I species such as Sloth Bear (*Melursus ursinus*), four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*) are found with varieties of residential and migratory bird species.

AND WHEREAS, varieties of amphibian, reptilian and Piscean species are found in this area. Various kinds of invertebrates from zooplanktons varieties of butterflies, moths, beetles, odonates, crabs, prawns, spiders, shells are found in this area.

AND WHEREAS, the forest type is 'Southern Tropical Dry Deciduous forest and it is grouped as 5 A/C1a.' It serves as a living repository of various economical, medicinal, aromatic and ornamental plant species.

AND WHEREAS, primitive scheduled tribes like Kolam and Gond are sharing common habitat with wildlife of this area. These tribal communities resides adjacent to the forest. Their day to day requirements are fulfilled from the forests. Their deities and other religious places of worship are inside the forests.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Tipeshwar Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 150 metres (for a very small stretch in the south-west side of the sanctuary where river forms the boundary of the proposed ESZ) to 11 kms around the boundary of Tipeshwar Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Tipeshwar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) Eco-sensitive Zone is situated between - 78° 18' 33.90" to 78° 36' 17.25" East. Latitude- 19° 47' 56.20" to 20° 3' 16.83" North Longitude. The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 404.57 square kilometers with an extent varying from 150 meter to 11 kms around the boundary of Tipeshwar Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II**.

(3) GPS coordinates of boundary of Tipeshwar Wildlife Sanctuary and its ESZ are appended as **Annexure-III**.

(4) The list of 60 villages falling in Eco-Sensitive Zone along with GPS coordinates is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(viii) State Pollution Control Board, for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 7.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural Springs.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.-** **Natural Heritage-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(2) **Bio-medical waste. –** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular Pollution**-Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(13) **Plastic Waste Management:-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14) **Construction and Demolition Waste Management:-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. Prohibited, Regulated and Promoted Activities

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

| Sl. No. | Activity | Remarks |
|---------|---|---|
| A. | Prohibited Activities: | |
| 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | <p>(a) All New and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.</p> |
| 2. | Setting up of saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3. | Use or production or processing of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 4. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | <p>(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.</p> <p>(b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the final notification.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 5. | Establishment of major thermal and hydro-electric projects | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 7. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8. | Use of polythene bags. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 9. | Setting up of brick kilns. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |

Regulated Activities:

| | | |
|-----|---|---|
| 10. | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 11. | Construction activities. | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) Promoted activities listed in this Notification. |
| 12. | Small scale non polluting industries. | Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority. |
| 13. | Felling of Trees. | (a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. |
| 14. | Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 15. | Infrastructure including civic amenities. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |

| | | |
|-----|---|---|
| 16. | Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc. | Regulated under applicable law |
| 17. | Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs. |
| 18. | Erection of electrical and telecommunication towers related infrastructure. | Promote underground cabling. |
| 19. | Fencing of existing premises of hotels and lodges. | Regulated under applicable laws. |
| 20. | Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area. | The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws. |
| 21. | Commercial extraction of surface and ground water. | Regulated under applicable law. |
| 22. | Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage. | Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority. |
| 23. | Commercial Sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| 24. | Air, Noise and vehicular pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 25. | Introduction of Exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 26. | Eco-tourism. | Regulated under applicable laws |
| 27. | Security Forces Camp. | Regulated under applicable laws. |
| 28. | New wood based industry. | No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone. Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock. |
| 29. | Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities. | Regulated under applicable laws. |
| 30. | Solid Waste Management (Excluding disposal and waste disposal site). | Regulated under applicable laws. |

C. Promoted Activities:

| | | |
|-----|---|---|
| 31. | Rain water harvesting | Shall be actively promoted. |
| 32. | Organic farming | Shall be actively promoted. |
| 33. | Adoption of green technology for all activities | Shall be actively promoted. |
| 34. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 35. | Use of renewable energy and fuels | Bio gas, solar light etc. to be actively promoted |
| 36. | Agro-Forestry | Shall be actively promoted. |
| 37. | Use of eco-friendly transport | Shall be actively promoted. |
| 38. | Skill Development | Shall be actively promoted. |
| 39. | Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat | Shall be actively promoted. |
| 40. | Environmental Awareness | Shall be actively promoted. |

Prohibited Activities as specified above shall come into effect from the date of issue of Draft Notification.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | District Collector, Yavatmal | Chairman; |
| 2. | Chief Executive Officer, Zilha Parishad, Yavatmal | Member; |
| 3. | Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Amravati | Member; |
| 4. | Town Planning Officer, Yavatmal | Member; |
| 5. | One representative of Non-Governmental Organization (working in the field of environment and heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period of three year | Member; |
| 6. | One expert in the area of ecology & environment to be nominated by the State Government for a period of three year | Member; |
| 7. | Representative of Addl. Principal Chief Conservator Of Forests, (East) Wildlife, Nagpur | Member; |
| 8. | Member of State Biodiversity Board | Member; |
| 9. | Deputy Conservator of Forests, Pandharkawda Forest Division | Member-Secretary. |

6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of the final Notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V.**
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No.25/127/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'


Annexure-I

Boundary description of Tipeshwar Widlife Sanctuary

| Direction | Bounded by |
|-----------|--|
| North | Northern boundary of comptt no.88, 83,84,82,Ca-106,Ca-107 Southern Boundary of village Gawara,Titwi,Wagholi, Ghonsi. Western boundary of village Kinhi, Maregao, Pandharwani (khu) & Comptt No. 86,87, Ca-112 |
| East | Western boundary of village Bori, Kelapur, Ambhora & comptt. No. 59. Eastern boundary of Wanjari, Paramba, Kawatha, Warha & comptt. No. 60 Southern boundary of Zunjarpur, Sakhara, Mahandoli & Comptt No. C-71, 65. |
| South | Southern boundary of Kodori, Rudha, Nimdheli, Ghubadi, Hivari, Arli & Comptt No. C-98,122,120. Eastern boundary of comptt No.C100 Western boundary of comptt No. C-98, C-96 Northern boundary of Painganga River |
| West | Western boundary of village Ganeri, Bhimkund, Rajapeth, Taroda, Kaleshwar, Pardi, Mejada &. Comptt No. C-108 B-670, C-110. Southern boundary of Sagada, Savangi, Wagartakali, Rajapeth, Parawa & Comptt No.812. Eastern boundary of Kurli, Zatala, Wadhona & comptt No.C-121 Northern boundary of Sharad & Comptt No.669. |

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TIPESHWAR WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE-III**A. GEO-CO-ORDINATES OF TIPESHWAR WILDLIFE SANCTURY**

| S.N. | Co-ordinate | Longitude | Latitude |
|------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | S1 | 78:21:23.032 | 19:55:10.881 |
| 2 | S2 | 78:20:47.578 | 19:55:20.153 |
| 3 | S3 | 78:20:36.333 | 19:55:37.357 |
| 4 | S4 | 78:20:41.793 | 19:55:51.303 |
| 5 | S5 | 78:20:50.445 | 19:55:53.764 |
| 6 | S6 | 78:20:55.787 | 19:56:07.034 |
| 7 | S7 | 78:21:06.200 | 19:56:09.963 |
| 8 | S8 | 78:21:32.588 | 19:56:12.246 |
| 9 | S9 | 78:21:43.819 | 19:56:24.736 |
| 10 | S10 | 78:21:56.774 | 19:56:25.038 |
| 11 | S11 | 78:22:05.710 | 19:56:31.945 |
| 12 | S12 | 78:22:04.615 | 19:56:40.812 |
| 13 | S13 | 78:22:24.454 | 19:56:42.139 |
| 14 | S14 | 78:22:25.147 | 19:56:53.398 |
| 15 | S15 | 78:22:34.682 | 19:56:53.726 |
| 16 | S16 | 78:22:35.654 | 19:57:07.638 |
| 17 | S17 | 78:22:43.763 | 19:57:10.310 |
| 18 | S18 | 78:22:52.810 | 19:57:06.045 |
| 19 | S19 | 78:22:50.749 | 19:57:12.938 |
| 20 | S20 | 78:23:02.459 | 19:57:24.309 |
| 21 | S21 | 78:23:16.367 | 19:57:21.518 |
| 22 | S22 | 78:24:02.753 | 19:57:44.323 |
| 23 | S23 | 78:24:00.392 | 19:58:09.218 |
| 24 | S24 | 78:24:14.587 | 19:58:09.594 |
| 25 | S25 | 78:24:21.771 | 19:58:04.903 |
| 26 | S26 | 78:24:38.299 | 19:58:06.479 |
| 27 | S27 | 78:24:55.751 | 19:58:02.814 |
| 28 | S28 | 78:25:17.352 | 19:57:47.876 |
| 29 | S29 | 78:25:19.397 | 19:57:32.666 |
| 30 | S30 | 78:26:21.391 | 19:57:21.085 |
| 31 | S31 | 78:26:51.484 | 19:57:04.948 |
| 32 | S32 | 78:27:07.286 | 19:57:02.099 |
| 33 | S33 | 78:27:04.666 | 19:56:57.028 |
| 34 | S34 | 78:27:14.617 | 19:56:47.164 |
| 35 | S35 | 78:27:32.428 | 19:56:47.497 |
| 36 | S36 | 78:27:31.807 | 19:56:25.321 |
| 37 | S37 | 78:27:50.451 | 19:56:17.813 |
| 38 | S38 | 78:27:59.823 | 19:55:55.14 |
| 39 | S39 | 78:28:16.605 | 19:55:51.072 |
| 40 | S40 | 78:28:30.497 | 19:56:00.382 |
| 41 | S41 | 78:29:32.563 | 19:56:04.317 |
| 42 | S42 | 78:29:41.310 | 19:56:08.433 |
| 43 | S43 | 78:29:44.641 | 19:55:50.659 |
| 44 | S44 | 78:29:45.493 | 19:55:35.074 |
| 45 | S45 | 78:30:01.213 | 19:55:10.924 |
| 46 | S46 | 78:30:30.785 | 19:55:09.879 |
| 47 | S47 | 78:30:54.821 | 19:55:30.249 |
| 48 | S48 | 78:31:19.026 | 19:55:40.681 |
| 49 | S49 | 78:31:20.403 | 19:55:11.743 |
| 50 | S50 | 78:31:15.316 | 19:54:22.772 |
| 51 | S51 | 78:31:36.455 | 19:54:24.583 |
| 52 | S52 | 78:31:47.423 | 19:54:11.255 |
| 53 | S53 | 78:31:46.510 | 19:53:55.820 |
| 54 | S54 | 78:31:54.735 | 19:53:55.524 |
| 55 | S55 | 78:32:08.312 | 19:53:45.192 |

| | | | |
|-----|------|--------------|--------------|
| 56 | S56 | 78:32:01.078 | 19:53:19.713 |
| 57 | S57 | 78:31:42.011 | 19:52:55.746 |
| 58 | S58 | 78:31:50.419 | 19:52:44.977 |
| 59 | S59 | 78:32:02.756 | 19:52:40.902 |
| 60 | S60 | 78:32:02.584 | 19:52:06.282 |
| 61 | S61 | 78:32:32.017 | 19:52:06.688 |
| 62 | S62 | 78:32:32.972 | 19:52:11.758 |
| 63 | S63 | 78:32:39.871 | 19:52:11.236 |
| 64 | S64 | 78:32:38.544 | 19:52:18.239 |
| 65 | S65 | 78:32:49.856 | 19:52:25.922 |
| 66 | S66 | 78:32:55.843 | 19:52:21.010 |
| 67 | S67 | 78:32:48.216 | 19:52:06.904 |
| 68 | S68 | 78:32:53.422 | 19:52:03.414 |
| 69 | S69 | 78:32:54.222 | 19:52:08.609 |
| 70 | S70 | 78:33:01.995 | 19:52:10.789 |
| 71 | S71 | 78:33:12.702 | 19:52:06.202 |
| 72 | S72 | 78:33:08.474 | 19:51:55.716 |
| 73 | S73 | 78:33:20.041 | 19:51:56.115 |
| 74 | S74 | 78:33:23.203 | 19:51:53.223 |
| 75 | S75 | 78:33:08.888 | 19:51:50.365 |
| 76 | S76 | 78:33:13.263 | 19:51:46.806 |
| 77 | S77 | 78:33:11.730 | 19:51:32.604 |
| 78 | S78 | 78:33:03.170 | 19:51:33.319 |
| 79 | S79 | 78:33:02.501 | 19:51:22.450 |
| 80 | S80 | 78:32:54.405 | 19:51:19.745 |
| 81 | S81 | 78:32:46.284 | 19:51:25.340 |
| 82 | S82 | 78:32:39.163 | 19:51:24.961 |
| 83 | S83 | 78:32:39.023 | 19:51:19.348 |
| 84 | S84 | 78:32:29.884 | 19:51:18.468 |
| 85 | S85 | 78:32:29.178 | 19:51:03.706 |
| 86 | S86 | 78:32:37.865 | 19:51:05.209 |
| 87 | S87 | 78:32:41.005 | 19:51:02.184 |
| 88 | S88 | 78:32:41.086 | 19:50:53.349 |
| 89 | S89 | 78:32:31.759 | 19:50:54.692 |
| 90 | S90 | 78:32:28.025 | 19:50:47.941 |
| 91 | S91 | 78:32:22.382 | 19:50:50.829 |
| 92 | S92 | 78:32:18.112 | 19:50:40.454 |
| 93 | S93 | 78:32:23.087 | 19:50:37.414 |
| 94 | S94 | 78:32:19.914 | 19:50:19.773 |
| 95 | S95 | 78:32:05.649 | 19:50:18.490 |
| 96 | S96 | 78:31:26.296 | 19:50:33.834 |
| 97 | S97 | 78:31:30.006 | 19:51:02.863 |
| 98 | S98 | 78:31:26.935 | 19:51:12.799 |
| 99 | S99 | 78:30:24.282 | 19:51:57.001 |
| 100 | S100 | 78:29:52.542 | 19:51:57.539 |
| 101 | S101 | 78:29:42.839 | 19:51:32.503 |
| 102 | S102 | 78:29:16.942 | 19:51:05.680 |
| 103 | S103 | 78:28:56.489 | 19:50:59.384 |
| 104 | S104 | 78:28:53.238 | 19:50:49.693 |
| 105 | S105 | 78:28:42.618 | 19:50:53.534 |
| 106 | S106 | 78:28:25.473 | 19:50:55.311 |
| 107 | S107 | 78:28:05.629 | 19:51:05.867 |
| 108 | S108 | 78:27:55.995 | 19:50:39.108 |
| 109 | S109 | 78:27:25.087 | 19:50:39.589 |
| 110 | S110 | 78:27:27.609 | 19:50:59.969 |
| 111 | S111 | 78:27:15.766 | 19:51:02.106 |
| 112 | S112 | 78:27:15.512 | 19:51:13.668 |
| 113 | S113 | 78:27:59.809 | 19:51:22.486 |
| 114 | S114 | 78:28:00.388 | 19:51:47.574 |
| 115 | S115 | 78:27:36.029 | 19:51:48.847 |
| 116 | S116 | 78:27:18.852 | 19:51:47.015 |
| 117 | S117 | 78:27:06.822 | 19:51:47.757 |

| | | | |
|-----|------|---------------|--------------|
| 118 | S118 | 78:27:01.115 | 19:51:29.082 |
| 119 | S119 | 78:27:03.474 | 19:51:19.570 |
| 120 | S120 | 78:26:48.142 | 19:51:17.758 |
| 121 | S121 | 78:26:14.906 | 19:51:17.444 |
| 122 | S122 | 78:26:11.832 | 19:51:12.314 |
| 123 | S123 | 78:26:18.606 | 19:51:02.525 |
| 124 | S124 | 78:26:12.792 | 19:50:44.437 |
| 125 | S125 | 78:26:25.281 | 19:50:41.855 |
| 126 | S126 | 78:26:27.256 | 19:50:37.066 |
| 127 | S127 | 78:26:31.895 | 19:50:36.838 |
| 128 | S128 | 78:26:31.228 | 19:50:29.972 |
| 129 | S129 | 78:26:26.501 | 19:50:20.465 |
| 130 | S130 | 78:26:11.841 | 19:50:28.410 |
| 131 | S131 | 78:26:03.758 | 19:50:27.139 |
| 132 | S132 | 78:26:03.469 | 19:50:39.930 |
| 133 | S133 | 78:25:58.244 | 19:50:42.454 |
| 134 | S134 | 78:25:58.613 | 19:50:36.576 |
| 135 | S135 | 78:25:56.155 | 19:50:34.454 |
| 136 | S136 | 78:26:02.123 | 19:50:24.861 |
| 137 | S137 | 78:25:58.253 | 19:50:20.884 |
| 138 | S138 | 78:25:53.239 | 19:50:24.360 |
| 139 | S139 | 78:25:48.955 | 19:50:11.705 |
| 140 | S140 | 78:25:38.213 | 19:50:13.981 |
| 141 | S141 | 78:25:43.893 | 19:50:39.897 |
| 142 | S142 | 78:25:40.677 | 19:50:41.259 |
| 143 | S143 | 78:25:42.352 | 19:50:48.117 |
| 144 | S144 | 78:25:38.763 | 19:50:52.918 |
| 145 | S145 | 78:25:39.758 | 19:51:14.333 |
| 146 | S146 | 78:25:32.644 | 19:51:13.898 |
| 147 | S147 | 78:25:30.284 | 19:51:21.462 |
| 148 | S148 | 78:25:23.891 | 19:51:24.138 |
| 149 | S149 | 78:25:19.017 | 19:51:22.208 |
| 150 | S150 | 78:25:17.405 | 19:51:16.480 |
| 151 | S151 | 78:25:05.921 | 19:51:20.443 |
| 152 | S152 | 78:25:01.476 | 19:51:09.893 |
| 153 | S153 | 78:24:45.163 | 19:51:12.454 |
| 154 | S154 | 78:24:44.105 | 19:51:22.514 |
| 155 | S155 | 78:24:38.336 | 19:51:21.918 |
| 156 | S156 | 78:24:35.815 | 19:51:25.912 |
| 157 | S157 | 78:24:27.505 | 19:51:23.767 |
| 158 | S158 | 78:24:30.704 | 19:51:40.576 |
| 159 | S159 | 78:24:27.484 | 19:51:40.601 |
| 160 | S160 | 78:24:26.740 | 19:51:48.279 |
| 161 | S161 | 78:24:17.559 | 19:51:49.177 |
| 162 | S162 | 78:24:19.836 | 19:51:57.495 |
| 163 | S13 | 78:24:13.724 | 19:51:56.421 |
| 164 | S164 | 78:24:04.589 | 19:51:58.577 |
| 165 | S165 | 78:24:01.795 | 19:52:04.295 |
| 166 | S166 | 78:24:08.205 | 19:52:04.961 |
| 167 | S167 | 78:24:07.557 | 19:52:08.333 |
| 168 | S168 | 78:24:01.101 | 19:52:06.781 |
| 169 | S169 | 78:23:49.540 | 19:52:12.430 |
| 170 | S170 | 78:23:51.901 | 19:52:20.801 |
| 171 | S171 | 78:23:36.754 | 19:52:13.866 |
| 172 | S172 | 78:23:28.784 | 19:52:13.607 |
| 173 | S173 | 78:23:27.696 | 19:52:05.439 |
| 174 | S174 | 78:23:49.433 | 19:52:09.918 |
| 175 | S175 | 78:23:348.586 | 19:52:06.013 |
| 176 | S176 | 78:23:51.762 | 19:52:04.930 |
| 177 | S177 | 78:23:51.375 | 19:51:59.483 |
| 178 | S178 | 78:23:47.481 | 19:51:59.994 |
| 179 | S179 | 78:23:45.988 | 19:51:55.611 |

| | | | |
|-----|------|--------------|--------------|
| 180 | S180 | 78:23:25.898 | 19:51:53.589 |
| 181 | S181 | 78:23:25.955 | 19:52:00.162 |
| 182 | S182 | 78:23:04.975 | 19:52:04.654 |
| 183 | S183 | 78:23:07.712 | 19:52:27.078 |
| 184 | S184 | 78:23:14.886 | 19:52:38.684 |
| 185 | S185 | 78:23:41.739 | 19:52:43.055 |
| 186 | S186 | 78:23:55.294 | 19:52:49.984 |
| 187 | S187 | 78:23:46.700 | 19:53:01.427 |
| 188 | S188 | 78:24:00.479 | 19:53:02.252 |
| 189 | S189 | 78:24:01.841 | 19:53:07.465 |
| 190 | S190 | 78:24:11.833 | 19:53:09.212 |
| 191 | S191 | 78:24:15.055 | 19:53:27.846 |
| 192 | S192 | 78:24:20.380 | 19:53:35.918 |
| 193 | S193 | 78:24:16.705 | 19:53:35.274 |
| 194 | S194 | 78:24:19.125 | 19:53:44.379 |
| 195 | S195 | 78:24:18.272 | 19:53:47.151 |
| 196 | S196 | 78:24:03.904 | 19:53:42.564 |
| 197 | S197 | 78:24:00.103 | 19:53:42.594 |
| 198 | S198 | 78:24:02.924 | 19:54:04.138 |
| 199 | S199 | 78:23:53.597 | 19:54:07.530 |
| 200 | S200 | 78:23:49.996 | 19:53:57.051 |
| 201 | S201 | 78:23:40.367 | 19:53:59.339 |
| 202 | S202 | 78:23:44.296 | 19:54:13.962 |
| 203 | S203 | 78:23:37.486 | 19:54:20.516 |
| 204 | S204 | 78:23:23.918 | 19:54:24.352 |
| 205 | S205 | 78:23:30.892 | 19:54:37.314 |
| 206 | S206 | 78:23:16.656 | 19:54:41.623 |
| 207 | S207 | 78:23:21.378 | 19:54:46.247 |
| 208 | S208 | 78:23:33.887 | 19:54:46.040 |
| 209 | S209 | 78:23:35.842 | 19:54:51.401 |
| 210 | S210 | 78:23:22.029 | 19:54:49.188 |
| 211 | S211 | 78:23:22.732 | 19:55:08.788 |
| 212 | S212 | 78:23:29.700 | 19:55:27.912 |
| 213 | S213 | 78:22:47.035 | 19:55:29.047 |
| 214 | S214 | 78:22:29.277 | 19:55:34.068 |
| 215 | S215 | 78:22:28.906 | 19:55:44.034 |
| 216 | S216 | 78:22:18.940 | 19:55:45.524 |
| 217 | S217 | 78:22:12.528 | 19:55:40.703 |
| 218 | S218 | 78:21:49.046 | 19:55:34.084 |
| 219 | S219 | 78:21:30.388 | 19:55:38.889 |

B. GEO-CO-ORDINATES OF ECO SENSITIVE ZONE OF TIPESHWAR WILDLIFE SANCTURY

| Sr.No. | co-ordinate | Longitude | Latitude |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
|---------------|--------------------|------------------|-----------------|

| | | | |
|----|-----|--------------|--------------|
| 1 | E1 | 78:18:54.277 | 19:54:55.567 |
| 2 | E2 | 78:18:44.058 | 19:55:06.992 |
| 3 | E3 | 78:18:41.184 | 19:55:31.623 |
| 4 | E4 | 78:18:33.392 | 19:55:38.754 |
| 5 | E5 | 78:18:28.479 | 19:55:53.877 |
| 6 | E6 | 78:18:33.023 | 19:55:53.986 |
| 7 | E7 | 78:18:39.079 | 19:56:09.729 |
| 8 | E8 | 78:18:37.980 | 19:56:15.230 |
| 9 | E9 | 78:18:51.467 | 19:56:32.687 |
| 10 | E10 | 78:18:35.203 | 19:56:34.909 |
| 11 | E11 | 78:18:13.142 | 19:57:01.325 |
| 12 | E12 | 78:18:18.450 | 19:57:15.994 |
| 13 | E13 | 78:18:03.376 | 19:57:30.661 |
| 14 | E14 | 78:18:11.392 | 19:57:31.922 |
| 15 | E15 | 78:18:11.431 | 19:58:07.028 |
| 16 | E16 | 78:18:28.715 | 19:58:16.642 |

| | | | |
|----|-----|--------------|--------------|
| 17 | E17 | 78:18:45.385 | 19:58:16.967 |
| 18 | E18 | 78:18:53.199 | 19:58:14.635 |
| 19 | E19 | 78:18:58.949 | 19:58:18.684 |
| 20 | E20 | 78:19:05.763 | 19:58:18.454 |
| 21 | E21 | 78:19:08.975 | 19:58:15.380 |
| 22 | E22 | 78:19:13.315 | 19:58:21.980 |
| 23 | E23 | 78:19:11.359 | 19:58:24.905 |
| 24 | E24 | 78:19:17.250 | 19:58:32.543 |
| 25 | E25 | 78:19:23.798 | 19:58:33.861 |
| 26 | E26 | 78:19:23.988 | 19:58:37.443 |
| 27 | E27 | 78:19:46.391 | 19:58:38.062 |
| 28 | E28 | 78:19:52.256 | 19:58:27.140 |
| 29 | E29 | 78:19:57.976 | 19:58:27.099 |
| 30 | E30 | 78:20:12.480 | 19:58:41.464 |
| 31 | E31 | 78:20:17.240 | 19:58:41.642 |
| 32 | E32 | 78:20:21.550 | 19:58:34.262 |
| 33 | E33 | 78:20:32.457 | 19:58:29.010 |
| 44 | E34 | 78:20:47.213 | 19:58:31.075 |
| 35 | E35 | 78:21:00.971 | 19:58:26.710 |
| 36 | E36 | 78:21:00.905 | 19:58:18.307 |
| 37 | E37 | 78:21:10.158 | 19:58:19.251 |
| 38 | E38 | 78:21:11.043 | 19:58:16.446 |
| 39 | E39 | 78:21:16.841 | 19:58:10.490 |
| 40 | E40 | 78:21:26.806 | 19:58:05.888 |
| 41 | E41 | 78:21:36.003 | 19:57:56.180 |
| 42 | E42 | 78:21:53.804 | 19:57:57.894 |
| 43 | E43 | 78:22:04.853 | 19:57:56.121 |
| 44 | E44 | 78:22:23.584 | 19:59:13.799 |
| 45 | E45 | 78:22:10.768 | 19:59:11.754 |
| 46 | E46 | 78:22:00.464 | 19:59:13.453 |
| 47 | E47 | 78:21:53.281 | 19:59:17.430 |
| 48 | E48 | 78:21:48.518 | 19:59:15.351 |
| 49 | E49 | 78:21:38.056 | 19:59:30.100 |
| 50 | E50 | 78:21:35.779 | 19:59:44.586 |
| 51 | E51 | 78:21:32.148 | 19:59:44.885 |
| 52 | E52 | 78:21:35.087 | 19:59:58.885 |
| 53 | E53 | 78:21:45.553 | 20:00:00.070 |
| 54 | E54 | 78:21:54.972 | 20:00:06.290 |
| 55 | E55 | 78:22:11.120 | 20:00:07.113 |
| 56 | E56 | 78:22:34.020 | 20:00:08.047 |
| 57 | E57 | 78:22:38.823 | 20:00:17.296 |
| 58 | E58 | 78:22:34.928 | 20:00:32.600 |
| 59 | E59 | 78:22:51.853 | 20:01:04.061 |
| 60 | E60 | 78:22:46.242 | 20:01:08.403 |
| 61 | E61 | 78:22:46.106 | 20:01:24.943 |
| 62 | E62 | 78:22:59.304 | 20:01:38.999 |
| 63 | E63 | 78:23:10.204 | 20:01:54.765 |
| 64 | E64 | 78:23:24.277 | 20:01:59.929 |
| 65 | E65 | 78:23:29.183 | 20:02:04.397 |
| 66 | E66 | 78:23:31.969 | 20:02:11.171 |
| 67 | E67 | 78:23:42.517 | 20:02:17.956 |
| 68 | E68 | 78:23:48.461 | 20:02:31.786 |
| 69 | E69 | 78:23:54.431 | 20:02:52.934 |
| 70 | E70 | 78:24:10.001 | 20:03:07.374 |
| 71 | E71 | 78:24:27.917 | 20:03:15.363 |
| 72 | E72 | 78:24:34.918 | 20:02:15.293 |
| 73 | E73 | 78:25:26.041 | 20:02:00.049 |
| 74 | E74 | 78:25:48.267 | 20:02:20.557 |
| 75 | E75 | 78:26:20.875 | 20:02:30.217 |
| 76 | E76 | 78:26:43.223 | 20:03:04.189 |
| 77 | E77 | 78:26:52.127 | 20:03:03.847 |
| 78 | E78 | 78:27:31.746 | 20:03:27.775 |

| | | | |
|-----|------|--------------|--------------|
| 79 | E79 | 78:29:24.798 | 20:03:02.093 |
| 80 | E80 | 78:29:11.673 | 20:02:49.589 |
| 81 | E81 | 78:29:13.289 | 20:02:38.795 |
| 82 | E82 | 78:29:28.486 | 20:02:15.248 |
| 83 | E83 | 78:29:40.286 | 20:01:58.268 |
| 84 | E84 | 78:30:05.789 | 20:01:56.355 |
| 85 | E85 | 78:30:05.800 | 20:01:56.009 |
| 86 | E86 | 78:29:36.292 | 20:01:11.057 |
| 87 | E87 | 78:30:04.332 | 20:00:47.581 |
| 88 | E88 | 78:30:35.019 | 20:00:39.716 |
| 89 | E89 | 78:30:41.702 | 20:00:44.484 |
| 90 | E90 | 78:31:00.601 | 20:00:36.895 |
| 91 | E91 | 78:31:01.197 | 20:00:22.611 |
| 92 | E92 | 78:30:57.317 | 19:59:54.700 |
| 93 | E93 | 78:31:03.905 | 19:59:47.658 |
| 94 | E94 | 78:31:03.949 | 19:59:44.378 |
| 95 | E95 | 78:31:00.324 | 19:59:42.364 |
| 96 | E96 | 78:30:55.462 | 19:59:16.072 |
| 97 | E97 | 78:30:48.790 | 19:59:15.437 |
| 98 | E98 | 78:30:39.060 | 19:59:03.152 |
| 99 | E99 | 78:30:28.483 | 19:58:59.042 |
| 100 | E100 | 78:30:30.032 | 19:58:45.549 |
| 101 | E101 | 78:31:06.955 | 19:58:46.185 |
| 102 | E102 | 78:31:43.485 | 19:58:41.114 |
| 103 | E103 | 78:31:54.749 | 19:58:41.501 |
| 104 | E104 | 78:32:23.828 | 19:58:29.896 |
| 105 | E105 | 78:32:57.278 | 19:58:20.927 |
| 106 | E106 | 78:32:55.643 | 19:58:07.347 |
| 107 | E107 | 78:32:45.973 | 19:58:05.001 |
| 108 | E108 | 78:32:16.213 | 19:57:15.969 |
| 109 | E109 | 78:32:16.899 | 19:57:04.900 |
| 110 | E110 | 78:32:29.503 | 19:56:44.285 |
| 111 | E111 | 78:33:33.783 | 19:56:51.030 |
| 112 | E112 | 78:33:36.014 | 19:57:11.401 |
| 113 | E113 | 78:33:58.886 | 19:57:16.765 |
| 114 | E114 | 78:34:13.160 | 19:57:15.497 |
| 115 | E115 | 78:34:29.401 | 19:57:03.540 |
| 116 | E116 | 78:35:09.219 | 19:56:46.001 |
| 117 | E117 | 78:35:14.858 | 19:56:21.355 |
| 118 | E118 | 78:35:07.449 | 19:56:07.314 |
| 119 | E119 | 78:35:08.444 | 19:55:53.624 |
| 120 | E120 | 78:35:04.617 | 19:55:54.086 |
| 121 | E121 | 78:34:57.735 | 19:55:40.251 |
| 122 | E122 | 78:35:10.497 | 19:55:20.825 |
| 123 | E123 | 78:35:23.707 | 19:55:19.638 |
| 124 | E124 | 78:35:28.435 | 19:55:10.945 |
| 125 | E125 | 78:35:40.167 | 19:55:10.547 |
| 126 | E126 | 78:35:40.876 | 19:55:00.760 |
| 127 | E127 | 78:35:43.658 | 19:54:57.321 |
| 128 | E128 | 78:35:42.020 | 19:54:51.577 |
| 129 | E129 | 78:35:54.841 | 19:54:49.449 |
| 130 | E130 | 78:35:58.380 | 19:54:58.941 |
| 131 | E131 | 78:36:00.368 | 19:54:53.978 |
| 132 | E132 | 78:36:11.531 | 19:54:54.620 |
| 133 | E133 | 78:36:19.225 | 19:54:53.970 |
| 134 | E134 | 78:36:06.996 | 19:54:43.880 |
| 135 | E135 | 78:36:06.855 | 19:54:29.845 |
| 136 | E136 | 78:35:55.482 | 19:54:15.911 |
| 137 | E137 | 78:35:53.107 | 19:54:19.346 |
| 138 | E138 | 78:35:45.082 | 19:54:19.039 |
| 139 | E139 | 78:35:38.982 | 19:54:10.937 |
| 140 | E140 | 78:35:25.467 | 19:54:11.891 |

| | | | |
|-----|------|--------------|--------------|
| 141 | E141 | 78:35:10.216 | 19:53:23.801 |
| 142 | E142 | 78:35:06.331 | 19:53:23.202 |
| 143 | E143 | 78:35:09.527 | 19:53:41.472 |
| 144 | E144 | 78:34:57.011 | 19:53:42.933 |
| 145 | E145 | 78:34:57.226 | 19:53:48.782 |
| 146 | E146 | 78:34:48.356 | 19:53:49.910 |
| 147 | E147 | 78:34:45.604 | 19:53:44.235 |
| 148 | E148 | 78:34:36.574 | 19:53:45.515 |
| 149 | E149 | 78:34:37.286 | 19:53:53.308 |
| 150 | E150 | 78:34:20.187 | 19:53:56.459 |
| 151 | E151 | 78:34:16.133 | 19:53:50.139 |
| 152 | E152 | 78:34:16.460 | 19:53:23.093 |
| 153 | E153 | 78:34:09.284 | 19:53:16.008 |
| 154 | E154 | 78:34:15.384 | 19:52:59.028 |
| 155 | E155 | 78:34:20.749 | 19:52:55.743 |
| 156 | E156 | 78:34:15.135 | 19:52:51.990 |
| 157 | E157 | 78:34:25.551 | 19:52:33.291 |
| 158 | E158 | 78:34:46.407 | 19:52:17.783 |
| 159 | E159 | 78:34:34.693 | 19:52:15.179 |
| 160 | E160 | 78:34:30.141 | 19:52:17.295 |
| 161 | E161 | 78:34:31.996 | 19:52:19.188 |
| 162 | E162 | 78:34:14.559 | 19:52:19.255 |
| 163 | E163 | 78:34:06.816 | 19:52:22.998 |
| 164 | E164 | 78:34:01.364 | 19:51:58.635 |
| 165 | E165 | 78:34:04.414 | 19:51:45.060 |
| 166 | E166 | 78:33:53.146 | 19:51:21.502 |
| 167 | E167 | 78:33:53.112 | 19:50:40.187 |
| 168 | E168 | 78:33:56.997 | 19:50:38.205 |
| 169 | E169 | 78:34:01.291 | 19:50:39.612 |
| 170 | E170 | 78:34:03.183 | 19:50:35.327 |
| 171 | E171 | 78:34:13.115 | 19:50:34.857 |
| 172 | E172 | 78:34:06.139 | 19:49:58.845 |
| 173 | E173 | 78:33:57.475 | 19:49:44.033 |
| 174 | E174 | 78:33:48.281 | 19:49:11.005 |
| 175 | E175 | 78:33:05.646 | 19:49:25.090 |
| 176 | E176 | 78:32:26.587 | 19:49:18.515 |
| 177 | E177 | 78:32:09.748 | 19:49:09.616 |
| 178 | E178 | 78:31:50.032 | 19:49:04.218 |
| 179 | E179 | 78:31:06.340 | 19:49:05.523 |
| 180 | E180 | 78:31:00.733 | 19:49:03.532 |
| 181 | E181 | 78:30:45.700 | 19:48:51.496 |
| 182 | E182 | 78:30:39.408 | 19:48:38.355 |
| 183 | E183 | 78:30:38.037 | 19:48:02.657 |
| 184 | E184 | 78:30:31.588 | 19:47:48.107 |
| 185 | E185 | 78:30:12.606 | 19:47:37.737 |
| 186 | E186 | 78:29:33.802 | 19:47:30.843 |
| 187 | E187 | 78:29:19.786 | 19:47:35.453 |
| 188 | E188 | 78:29:08.596 | 19:47:47.105 |
| 189 | E189 | 78:29:03.762 | 19:48:11.069 |
| 190 | E190 | 78:28:55.074 | 19:48:24.858 |
| 191 | E191 | 78:28:52.119 | 19:48:36.885 |
| 192 | E192 | 78:28:32.907 | 19:48:56.378 |
| 193 | E193 | 78:28:15.959 | 19:49:01.944 |
| 194 | E194 | 78:27:41.170 | 19:48:53.434 |
| 195 | E195 | 78:27:16.918 | 19:48:46.179 |
| 196 | E196 | 78:26:48.240 | 19:48:47.340 |
| 197 | E197 | 78:26:22.559 | 19:48:45.761 |
| 198 | E198 | 78:25:58.698 | 19:48:51.253 |
| 199 | E199 | 78:25:21.173 | 19:49:08.976 |
| 200 | E200 | 78:25:02.690 | 19:49:22.638 |
| 201 | E201 | 78:23:13.719 | 19:50:45.793 |
| 202 | E202 | 78:23:03.577 | 19:51:19.551 |

| | | | |
|-----|------|--------------|--------------|
| 203 | E203 | 78:23:02.548 | 19:52:39.624 |
| 204 | E204 | 78:22:58.998 | 19:52:44.265 |
| 205 | E205 | 78:22:48.592 | 19:52:47.267 |
| 206 | E206 | 78:22:14.546 | 19:52:47.615 |
| 207 | E207 | 78:21:52.249 | 19:52:51.520 |
| 208 | E208 | 78:21:39.819 | 19:52:56.644 |
| 209 | E209 | 78:21:11.571 | 19:52:53.260 |
| 210 | E210 | 78:20:39.836 | 19:52:57.361 |
| 211 | E211 | 78:20:25.897 | 19:53:02.764 |
| 212 | E212 | 78:20:18.696 | 19:53:02.022 |
| 213 | E213 | 78:20:15.301 | 19:53:08.323 |
| 214 | E214 | 78:20:12.587 | 19:53:02.066 |
| 215 | E215 | 78:20:00.205 | 19:53:05.145 |
| 216 | E216 | 78:19:50.045 | 19:53:12.205 |
| 217 | E217 | 78:19:33.002 | 19:53:38.258 |
| 218 | E218 | 78:19:39.442 | 19:53:56.376 |
| 219 | E219 | 78:20:06.213 | 19:54:15.183 |
| 220 | E220 | 78:20:06.988 | 19:54:20.249 |
| 221 | E221 | 78:19:58.308 | 19:54:48.633 |
| 222 | E222 | 78:19:45.604 | 19:54:57.359 |
| 223 | E223 | 78:19:11.801 | 19:54:58.782 |
| 224 | E224 | 78:19:04.798 | 19:54:56.189 |

Annexure-IV**GPS COORDINATES OF VILLAGES IN ECO-SENSITIVE ZONE OF TIPESHWAR WILDLIFE SANCTUARY**

| S.N. | Village Name | Tehsil | Latitude | Longitude |
|------|--------------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Sagada | Ghatanji | N 19:53.16.90 | E78:22:00.30 |
| 2. | Thanegaon | Ghatanji | N 19:53:42.50 | E7B:23.48.40 |
| 3. | Bhimkund | Ghatanji | N 19:52:48.70 | E 78:23:03.90 |
| 4. | Mangi | Ghatanji | N 19:54:11 .60 | E78.22'30.80 |
| 5. | Savargaon | Ghatanji | N 19:54.55.40 | E78:22'.29.50 |
| 6. | Sawangi | Ghatanji | N 19:54:36.65 | E78'.20.22.80 |
| 7. | Wagartakli | Ghatanji | N 19:56:24.45 | E78:20:24.55 |
| 8. | Rajapeth | Ghatanji | N 19:54:59.13 | E 78:18:33.90 |
| 9. | Kurli | Ghatanji | N 19:56:39.37 | E 7B:18.44.31 |
| 10. | Taroda | Ghatanji | N 19:57:53.14 | E7B:18:58.22 |
| 11. | Sharad | Ghatanji | N 19:58:07.13 | E 78:20:18.34 |
| 12. | Mejda | Ghatanji | N 20:00:56.54 | E 78.23:01.62 |
| 13. | Pardi | Ghatanji | N 19:59:48.74 | E 78:22:06.62 |
| 14. | Jamb | Ghatanji | N 19:58:52.23 | E 78:23:45.25 |
| 15. | Kaleshwar | Ghatanji | N 19:58:18.42 | E78.22:33.60 |
| 16. | Mathani | Ghatanji | N '19:57:20.50 | E7823.11.90 |
| 17. | Ztli | Kelapur | N 19:59:51.70 | E78"26"20.50 |
| 18. | Kegaon | Kelapur | N 20:01:59.50 | E 78:2851 .10 |
| 19. | Kusal | Kelapur | N 20:03:04.10 | E 78:28:03.10 |
| 20. | Chopan | Kelapur | N 20:02:57.80 | E 78:27'.56.80 |
| 21. | Malakapur | Kelapur | N 20:02:04.60 | E78:26:46.20 |
| 22. | Pahapal | Kelapur | N 19:59:44.00 | E78:29'.26.70 |
| 23. | Wadner | Kelapur | N 20:00:35.50 | E78:28.25.00 |
| 24. | Patoda | Kelapur | N '19:59:45.00 | E 78:27:24.00 |
| 25. | DaheliTanda | Kelapur | N 20:00:06.00 | E 78:27:28.30 |
| 26. | Lingati | Kelapur | N 19:58:52.40 | E78:27:09.00 |
| 27. | Bhadumari | Kelapur | N 19:58:15.10 | E 78:26:00.50 |

| | | | | |
|-----|-----------------|------------|----------------|---------------|
| 28. | Both | Kelapur | N 19:57:42.48 | E 7B:27:53.58 |
| 29. | Bahattar | Kelapur | N 19:57:08.64 | E78:27:53.58 |
| 30. | Pendhari | Kelapur | N 19:56:49.68 | E 78:28:56.46 |
| 31. | Susari | Kelapur | N 19:57:01 .50 | E 78.29:44.82 |
| 32. | Nagezari | Kelapur | N 19:58:03.00 | E 78:29:37.08 |
| 33. | Gondwakadi | Kelapur | N 19:58:42.18 | E 78:31:34.08 |
| 34. | Marathwakadi | Kelapur | N 19:57:37.44 | E 78:31:57.30 |
| 35. | Dhoki | Kelapur | N 19:56:56.94 | E 78:32:05.01 |
| 36. | Tembhi (Kh) | Kelapur | N 19:56:14.28 | E 78:30:54.66 |
| 37. | Sunna | Kelapur | N 19:55:12.30 | E 78:32:06.70 |
| 38. | Kopamandavi | Kelapur | N 19:53:37.40 | E78:32:25.30 |
| 39. | Paramba | Zarijamanr | N 19:55:03.00 | E 78:35:46.80 |
| 40. | Wanzari | Kelapur | N 19:56:24.10 | E 78:3414.50 |
| 41. | Wasari | Kelapur | N 19:51:53.10 | E 78:33:22.50 |
| 42. | Kawatha | Kelapur | N 19:53:35.40 | E 78:33:29.90 |
| 43. | Warha | Kelapur | N 19:53:13.10 | E 78:33:34.10 |
| 44. | Khairgao | Kelapur | N 19:55:08.90 | E 78:33:08.70 |
| 45. | Ballarpur | Kelapur | N 19:56:18.20 | E 78:32:43.60 |
| 46. | Rudha | Kelapur | N 19:49:03.44 | E 78:31:08.45 |
| 47. | Kodori | Kelapur | N 19:49:08.75 | E 78:33:03.55 |
| 48. | Chanakha | Kelapur | N 19:48:07.77 | E 78:30:03.88 |
| 49. | Khairi | Kelapur | N 19:50:01 .34 | E 78:30:07.72 |
| 50. | Walwat | Kelapur | N 19:50:05.41 | E 78:28:08.65 |
| 51. | Ghubadi | Kelapur | N 19:49:09.35 | E 78:28:05.69 |
| 52. | Karegaon (Band) | Kelapur | N 19:50:09.60 | E 78:24:22.14 |
| 53. | Hiwari | Kelapur | N 19:48:34.86 | E 78:26:15.90 |
| 54. | Arli | Kelapur | N 19:50:15.96 | E 7B:24.10.86 |
| 55. | Pimpalshenda | Kelapur | N 19:50:50.94 | E 78:25.20.04 |
| 56. | Ganeri | Ghatanji | N 19:51 :18.60 | E 78:23:13.08 |
| 57. | Nimdheli | Kelapur | N 19:48:02.48 | E 78:29:05.94 |
| 58. | Pimpalkhuti | Ghatanji | N 20:02:03.40 | E 78:23:27.70 |
| 59. | Kharoni | Ghatanji | N 20 01.42.40 | E 78:24:52.70 |
| 60. | Muradgavhan | Ghatanji | N 20:00:48.40 | E7B:23:33.T5 |

Annexure -V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee..-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006
Details may be attached as separate Annexure.

-
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
 7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
 8. Any other matter of importance.